16781/2021/OL

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

परामर्शी 2.0

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अनौपचारिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा

प्रसंग

भारत का मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में चिंतित है। महामारी की पहली लहर के दौरान, इसने कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया, जमीनी वास्तविकताओं का आकलन किया और अक्टूबर 2020 में अनौपचारिक कर्मचारियों के अधिकार बनाए रखने पर व्यापक सलाह जारी की।

लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बंद होने के साथ, अधिकांश अनौपचारिक कार्यकर्ता अथवा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, भारत के शहर और नगरों के प्रवासियों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। कोविड-19 ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका को भी प्रभावित किया है। नौकरी छूटने, वेतन में कमी, अर्थव्यवस्था एवं विनिर्माण क्षेत्र के के संकुचन के साक्ष्य गंभीर आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं। शीर्षक "स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया वन ईयर ऑफ कोविड-19" रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा की ओर धकेल दिया है। यह मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के परिवार हैं जिनमें 50 करोड़ से अधिक भारतीय शामिल हैं। पिछले महीनों के दौरान किए गए अन्य सर्वेक्षणों में भारत के विभिन्न राज्यों के अनौपचारिक सेक्टर श्रमिकों के बीच वेतन हानि और उच्च बेरोजगारी के भी संकेत मिलते हैं।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ ही भारत महामारी की दूसरी लहर का अनुभव कर रहा है और इसने स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भोजन, सुरक्षा आदि जैसे संकटों में डाल दिया है। संकटों का सामना करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार लोगों की आवश्यकता के लिए आपातकालीन जरूरतें प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है और श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रतिबंधों और लॉकडाउन उपायों को लागू कर रही है। इस स्थिति में अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच बेचैनी उत्पन्न कर दी है और उन्हें आय और काम की कमी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक संकट और साथ ही इस लहर में बढ़ती स्वास्थ्य लागत तथा मध्यम एवं बड़े परिवारों में मृत्यु का सामना भी करना पड़ रहा है।

अनौपचारिक क्षेत्र में विशिष्ट श्रमिकों के कई समूह है जैसे श्मशान / समाधि भूमि कार्यकर्ता, घरेलू समेत पारंपरिक कारीगर, छोटे उद्यमी आदि, जो महामारी की दूसरी लहर में कई अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। श्मशान और समाधि भूमि कार्यकर्ता कोविड-19 से प्रभावित शवों का निपटान करने में संलग्न होने के कारण फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में उभर कर आए हैं। वे अक्सर बिना किसी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के कार्य करते पाए जाते हैं। घरेलू कर्मी जो अभी भी वायरस को ले जाने की क्षमता रखते हैं, उनके आगमन पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उनकी

आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। सूक्ष्म उद्यम जैसे चाय की दुकान, नाई की दुकान ग्राहकों की कमी और लॉकडाउन के कारण बंद पड़े हैं। यह स्थितियां अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की गई अनिश्चितता के स्तर का प्रमाण देती हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न कारकों, जिसने अनौपचारिक कर्मचारियों को सर्वाधिक कमजोर बना दिया है, को ध्यान में रखते हुए "कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अनौपचारिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा : परामर्शी 2.0" जारी की है।

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि किसी स्थिति में चाहे वह पूर्व कथनीय हो या अभूतपूर्व, उसे अदेय मानव अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार संकट की इस घड़ी में मानव अधिकारों विशेष रूप से वे जो कमजोर और हाशिए पर हैं, के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए।

I. पारगमन में प्रवासी कामगारों की रक्षा करना

1. **24x7 कर्मचारी सहयोग हेल्पलाइन:** सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 24x7 कर्मचारी सहयोग हेल्पलाइन की स्थापना की जानी चाहिए ताकि सुरक्षित प्रवासन सुविधा, कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधित सटीक जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामुदायिक रसोई की उपलब्धता, टीकाकरण और किसी भी कर्मचारी द्वारा आवश्यक किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा सके।

2. **परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करना:** केंद्र और राज्य सरकारों को अपने मूल राज्यों को छोड़ने वाली प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हालांकी, सरकारें इन सेवाओं को रियायती दरों पर अथवा मुफ्त प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं, उन्हें परिवहन स्थलों पर भोजन, पानी और आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

3. **'स्रोत' राज्यों में अस्थाई चिकित्सा केंद्रों और संगरोध केंद्रों को फिर से सक्रिय और मजबूत करना:** चूंकि परिवहन में प्रवासी कामगारों को संक्रमण होने का अधिक खतरा होता है, ऐसे सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जहां प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं, विशेष रूप से उच्च प्रवासियों वाले जिलों को, अस्थाई चिकित्सा शिविरों, संगरोध केंद्रों और कोविड-19 देखभाल सुविधाओं को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता है।

II. अनौपचारिक कर्मचारियों के लिए रोजगार और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना

4. **रोजगार सृजन पहल**: सरकार शहरी रोजगार योजना- शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं का पता लगा सकती है, जो शहरी क्षेत्रों में तनाव को कम करने में मदद करेगा। कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यों को पूरा कर सकता है:-

   - **सार्वजनिक कार्य:** नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, रखरखाव और उन्नयन।
   - **ग्रीन जॉब्स:** शहरी भूमि की हरियाली का निर्माण, संरक्षण एवं रखरखाव, बंजर भूमि का जीर्णोद्धार, जल निकायों की सफाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन।
   - **देखभाल के काम में सहायता:** उदाहरण के लिए शिशु गृह में बच्चों की देखभाल करने वाली सेवाएं, बुजुर्गों एवं दिव्यागों की देखभाल और ड्रॉपआउट बच्चों के लिए आउटरीच।
   - कोविड-19 संबंधित सार्वजनिक कार्य स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) के माध्यम से 'आवश्यक वस्तुओं' जैसे सुरक्षात्मक उपकरण आदि का उत्पादन।

5. **मनरेगा के अंतर्गत वेतन में संशोधन और कार्य दिवसों में वृद्धि:** मुद्रास्फीति दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दैनिक वेतन में संशोधन करना चाहिए। मनरेगा के तहत कार्यदिवसों को 200 दिनों तक बढ़ाकर कम से कम 3 मार्च 2022 तक किया जा सकता है और व्यक्तिगत जॉब कार्ड दिए जा सकते हैं। मनरेगा के तहत परियोजनाओं, परियोजनाओं के प्रकारों को समायोजित विविध कौशल और सामाजिक जरूरतों को संबोधित करने के लिए रचनात्मक रूप से निस्तारित करने की आवश्यकता है।

6. **फास्टट्रेकिंग ग्रामीण उद्यम और रोजगार:** प्रत्येक जिले को ग्रामीण औद्योगिकीकरण को मजबूत करने के लिए गैर-कृषि / कृषि क्षेत्र में एक या अधिक सामूहिक/सहकारी उद्यम स्थापित करने की सुविधा करने की आवश्यकता है। इसे स्फूर्ती, एस्पायर, सीएलएसएस, पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई और पीएमएमवाई जैसी मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। ईएमआई पर ऋण स्थगन और ब्याज पर विचार किया जा सकता है।

7. **सूक्ष्म और छोटे, मध्यम उद्यमों को फिर से जीवित करना:** महामारी के दौरान अनौपचारिक कर्मचारियों को रोजगार एवं अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के क्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय को उनके उद्धार हेतु निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: क) ब्याज और ईएमआई घटक दोनों पर बकाया ऋणों का अधिस्थगन; ख) आपातकालीन ऋण; ग) जून के बाद चल रहे ऋण पुनर्गठन योजना का विस्तार; और घ) पूर्व भुगतान पर बैंक द्वारा लगाए गए फौजदारी दण्ड को हटाना।

8. **वेतन कटौती को बढ़ावा ना देना:** राज्य, नियोक्ताओं के लिए सलाह जारी कर सकते हैं कि वे लॉकडाउन के कारण वेतन में कटौती को बढ़ावा न दें या व्यापार में गिरावट, और पहले भुगतान किए गए वेतन के आधे हिस्से में वेतन मुआवजे पर विचार करें।

9. **आपूर्ति श्रंखला राहत योगदान कोष:** अनुबंध , उप-अनुबंध और घर आधारित श्रमिको को राहत प्रदान करने के लिए सरकारों को कॉरपोरेट ब्रांड और खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति श्रंखला राहत योगदान कोष (एस सी आर सी ए) को निर्देशित करना चाहिए। इस फंड को बनाने के लिए पीएम-केयर फंड से स्टार्ट अप समर्थन पर विचार किया जा सकता है।

10. **वन टाइम डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर (डीबीटी):** राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन आर्थिक मंदी और स्वास्थ्य लागतों द्वारा होने वाली हानियां जो कि अनौपचारिक कर्मचारियों द्वारा झेली जाती हैं, को मानवीय नुकसान भरपाई के उपाय के रूप में वन टाइम डीबीटी पर विचार कर सकते हैं।

11. **खाद्य सुरक्षा योजना की सुवाह्यता:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का फास्ट्रेक कार्यान्वयन करना चाहिए ताकि 'स्रोत' और 'गंतव्य' दोनों राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

12. **सूखे राशन का वितरण:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐसे अनौपचारिक कर्मचारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 'स्रोत' या 'गंतव्य' राज्य में शामिल नहीं होते हैं मे सूखे राशन का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

13. **सामुदायिक रसोई की स्थापना:** राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित स्तर पर सामुदायिक रसोई के संचालन को सुनिश्चित करना चाहिए तथा जरूरतमंदों के लाभ के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

14. **सरकारी योजना के तहत वास्तविक और संभावित लाभार्थियों के पंजीकरण की मुहिम:** केंद्र सरकार वेब पोर्टल विकसित कर सकती है और राज्य और ब्लॉक स्तर पर लाभार्थियों और पोर्टल द्वारा उन्हें दिए गए लाभों के वास्तविक अपलोडिंग और रिकॉर्डिंग के लिए लिंक दे सकती है।

15. **गैर-भेदभाव पूर्ण राहत वितरण:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत और सहायता वितरण प्रक्रिया में जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव ना होता हो।

III. आलोचनीय फ्रंटलाइन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

16. **अनौपचारिक क्षेत्र में फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए पीपीई सुनिश्चित करना:** महामारी के संदर्भ में, फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अनौपचारिक क्षेत्र में जैसे कि शवदाहगृह या कब्रिस्तान कर्मचारी, स्वच्छता कार्यकर्ता, घरेलू कार्यकर्ता, मोर्चरी कार्यकर्ता को विभिन्न स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर्मचारियों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराने पर सलाह कर सकती है।
17. **अनौपचारिक क्षेत्र में फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा:** सरकार को शमशान/ कब्रिस्तान कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, मुर्दाघर कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष कोविड-19 और अन्य स्वास्थ्य बीमा के लिए अभियान शुरू करना चाहिए।
18. **घरेलू कर्मचारी और आरडब्ल्यूए:** राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवासीय परिसर में घरेलू कामगारों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आरडब्लूए द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। इस तरह के मामले में निर्णय पूरी तरह से नियोक्ता और घरेलू कर्मचारी के बीच होना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियोक्ताओं से घरेलू कामगारों को लॉक डाउन की अवधि या किसी अन्य अवधि तक पूरी मजदूरी देने के लिए अपील करनी चाहिए जहां उन्हें महामारी के कारण रोजगार पर जाने से मना किया जाता है। जब कोई कर्मी या कर्मी के परिवार का सदस्य का परीक्षण सकारात्मक पाया जाता है तो घरेलू कर्मी के परीक्षण और आइसोलेशन के लिए कर्मचारी आरडब्ल्यूए को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।
19. **स्वास्थ्य योजना के तहत घरेलू कर्मचारी और अन्य अनौपचारिक कर्मचारियों का पंजीकरण:** राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसी योजनाएं बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जो सभी घरेलू कामगारों, घर पर काम करने वालों, कूड़ा बीनने वालों और अन्य कमजोर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध और सुलभ हो।
20. **स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत नियमों की अधिसूचना:** राज्यों को स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत नियमों की अधिसूचना सुनिश्चित करनी चाहिए और वेंडरों के लिए पंजीकरण की पहुंच बढ़ाने और पहचान पत्र जारी करने के लिए अभियान चलाना चाहिए ताकि वे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीए निधि) के तहत लाभ प्राप्त कर सकें।
21. **घरेलू/ देखरेख जिम्मेदारियां साझा करना तथा महिला कामगारों की सुरक्षा:** महामारी ने महिलाओं को आर्थिक रुप से कमजोर बना दिया है, अवैतनिक देखभालकर्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है जो उनकी श्रम शक्ति भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। उनके अवैतनिक देखभाल के कार्य के बोझ को कम करने के लिए, काम की साझेदारी (समुचित हक), अन्य हितधारकों के साथ सहयोग, देखभाल के बोझ को कम करने और महिलाओं के अन्य घरेलू काम के जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय अभियान शुरू कर सकती है।

22. **अनौपचारिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा और समर्थन:** यह बच्चे बाल श्रम, शीघ्र विवाह और तस्करी के संकट में हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्कूल से बाहर के सभी बच्चों की सुभेद्यता का पता लगाने के लिए पंचायतों को निर्देशित करने पर विचार कर सकता है। सार्वजनिक शिक्षा के नामांकन, कोविड-19 में उचित स्तर से शिक्षा के लिए समर्थन और मध्याह्न भोजन के साथ जुड़ाव बनाए रखने, स्कूली बच्चों के नुकसान की विजेता मानचित्रण करने के लिए पंचायतों को निर्देशित करने पर विचार कर सकता है।

IV. अनौपचारिक कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

23. **कार्य स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को प्रदर्शित करना:** प्रत्येक नियोक्ता स्थानीय भाषा में कार्यस्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए बाध्य है जैसे कि सामाजिक दूरी, हर समय उचित रूप से मास्क पहनना, स्वच्छता आदि।
24. **कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन और टीकाकरण की सुविधा:** प्रत्येक नियोक्ता, जिसने घर पर कामगार जैसे घरेलू नौकर को नियुक्त किया हो, सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। नियोक्ता कोविड-19 टीकाकरण पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने और कर्मचारियों की टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बाध्य है। केंद्र सरकार को टीकाकरण की अधिक से अधिक बढ़ोतरी के लिए टीकाकरण कैंपस को अनौपचारिक कर्मचारियों के आबादी के पास स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
25. **कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण अनौपचारिक कर्मचारी प्रबंधन:** सभी अनौपचारिक कर्मचारी, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारक हैं और कोविड-19 परीक्षण में सकारात्मक पाए जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त उपचार मिलना चाहिए। गंभीर स्थिति और उपयुक्त सुविधाओं की अनुपलब्धता के मामले में उपयोग देखभाल सुविधाओं के हस्तांतरण के लिए संबंधित स्वास्थ्य विभाग को निगरानी रखने का दायित्व होगा।

*****